

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3781 का उत्तर

रेलवे द्वारा मृत्यु और चोट के एवज में मुआवजा

3781. श्री यूसुफ पठान:

श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और तत्संबंधी विशेषकर पंजाब में जोनवार, वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान रेल दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतों और घायल हुए यात्रियों की संख्या का वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन दुर्घटनाओं के पहचाने गए कारणों और इन दुर्घटनाओं में प्रत्येक कारक के योगदान के प्रतिशत का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा मृत्यु और चोट, दोनों के लिए पृथक रूप से प्रदान की गई मुआवजे की राशि का वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार द्वारा रेल सुरक्षा में सुधार लाने और विशेषकर पंजाब के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बड़ी दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (च) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेषकर पंजाब के लिए रेल सुरक्षा उपायों, अवसंरचना उन्नयन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कितना बजट आवंटित और व्यय किया गया?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

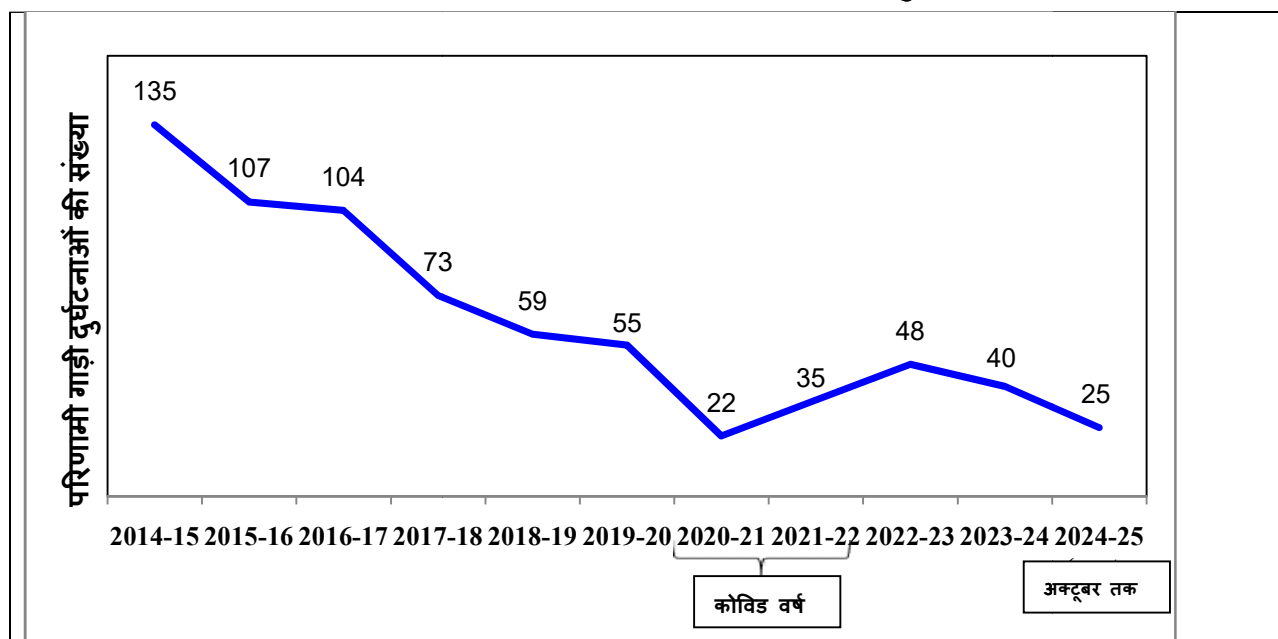
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): गत वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं 2014-15 में 135 से घटकर 2023-24 में 40 रह गई हैं, जैसाकि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है। इन दुर्घटनाओं के कारणों में मुख्यतः

पटरियों में खराबी, रेल इंजन/सवारी डिब्बों में खराबी, उपकरण की विफलता, मानवीय चूक आदि शामिल हैं।

यह नोट किया जाए कि 2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 1711 (औसत 171 प्रतिवर्ष) थी, जो वर्ष 2014-24 की अवधि के दौरान घटकर 678 (औसतन 68 प्रतिवर्ष) रह गई है जो कि 60% की कमी है।

गाड़ी परिचालन में बेहतर संरक्षा दर्शाने वाला अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक दुर्घटना प्रति मिलियन रेलगाड़ी किलोमीटर (एपीएमटीकेएम) है, जो 2014-15 में 0.11 से घटकर 2023-24 में 0.03 रह गया है, जो उक्त अवधि के दौरान लगभग 73% का सुधार दर्शाता है।



भारतीय रेल पर परिणामी रेल दुर्घटनाएं और उनमें हताहतों (रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों सहित) की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
2004-05 से 2013-14 तक	1711	904	3155
2014-15 से 2023-24 तक	678	748	2087

किसी दुर्घटना अथवा अप्रिय घटना के तुरंत बाद दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को अनुग्रह राहत राशि का भुगतान किया जाता है। पिछले 5 वर्षों (2019-20 से 2023-24) में रेल दुर्घटनाओं में हताहत और घायल व्यक्तियों के निकटतम परिजन को रेलवे द्वारा भुगतान की

गई कुल अनुग्रह राशि 38.30 करोड़ रुपए (हताहतों के मामले में 30.80 करोड़ रु. और घायलों के मामलों में 7.50 करोड़ रु.) है।

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 124 और 124ए (धारा 123 के साथ पठित) के तहत यथा परिभाषित गाड़ी दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में रेल यात्रियों की मृत्यु/चोट के लिए मुआवजे का निर्णय रेल दावा अधिकरण द्वारा पीड़ितों/उनके आश्रितों द्वारा रेल दावा अधिकरण के समक्ष दायर दावा आवेदन के आधार पर किया जाता है और यह उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद मामलों का निपटारा करती है। रेल प्रशासन तभी मुआवजा देता है जब माननीय रेल दावा अधिकरण द्वारा दावेदार के पक्ष में डिक्री पारित करती है और रेलवे उस डिक्री को कार्यान्वित करने का निर्णय लेती है। मुआवजा राशि नियत अनुग्रह राशि के अतिरिक्त दी जाती है। पिछले 5 वर्षों (2019-20 से 2023-24) में गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहत और घायल व्यक्तियों के निकट परिजनों को रेलवे द्वारा दी गई मुआवजे की कुल राशि 29.57 करोड़ रुपए (हताहतों के मामले में 23.63 करोड़ रु. और घायलों के मामलों में 5.94 करोड़ रु.) है।

यह नोट किया जा सकता है कि एक वर्ष में भुगतान किए गए मुआवजे के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि यह केवल उसी वर्ष की दुर्घटनाओं/हताहतों से संबंधित हो। किसी वर्ष में प्रदत्त राशि रेल दावा अधिकरणों (आरसीटी) या अन्य न्यायालयों द्वारा किसी वर्ष विशेष में निर्णीत मामलों की संख्या पर निर्भर करती है, भले ही दुर्घटना किसी वर्ष में हुई हो।

संरक्षा उपाय

भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। गाड़ी परिचालन में संरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा संबंधी उपाय निम्नानुसार हैं:

1. विगत वर्षों में भारतीय रेल में, संरक्षा से संबंधित कार्यों पर व्यय में वृद्धि हुई है जो निम्नानुसार है:

संरक्षा संबंधी कार्यों पर व्यय	(करोड़ रु. में)		
	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (वास्तविक)	बजट अनुमान 2024-25
रेलपथ और निर्माण कार्य का अनुरक्षण	18,115	20,322	21,386

रेलइंजनों और चल स्टॉक का अनुरक्षण	27,086	30,864	31,494
मशीनों का अनुरक्षण	9,828	10,772	11,864
सड़क संरक्षा समपार और ऊपरि/निचले सड़क पुल	5,347	6,662	9,980
रेलपथ नवीकरण	16,326	17,850	17,652
पुल संबंधी कार्य	1,050	1,907	2,137
सिगनल एवं दूरसंचार संबंधी कार्य	2,456	3,751	4,647
उत्पादन इकाइयों सहित कारखानों तथा संरक्षा पर विविध व्यय	7,119	9,523	9,615
कुल	87,327	1,01,651	1,08,776

- मानवीय विफलता के कारण होने वाली दुर्घटना रोकने के लिए 30.11.2024 तक 6,612 स्टेशनों पर प्वाइंटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन वाले इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
- समपार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 30.11.2024 तक 11,082 समपार फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।
- संरक्षा बढ़ाने के लिए 30.11.2024 तक 6,620 स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन के लिए स्टेशनों के पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।
- कवच अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसके लिए सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय स्वचालित रेलगाड़ी रक्षण (एटीपी) प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। कवच प्रणाली की उत्तरोत्तर चरणबद्ध रूप में व्यवस्था की जा रही है है। कवच को पहले ही दक्षिण मध्य रेल और उत्तर मध्य रेलवे के 1548 मार्ग किलोमीटर पर संस्थापित किया जा चुका है। वर्तमान में, दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा गलियारों (लगभग 3000 मार्ग किमी) पर कार्य प्रगति पर है। इन रेलमार्गों पर लगभग 1969 मार्ग किमी पर रेलपथ साइड कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इन खंडों पर नियमित परीक्षण किए जा रहे हैं।

6. सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मामलों जैसे अनिवार्य साम्यता जांच, परिवर्तन कार्य संबंधी प्रोटोकॉल, पूर्ण हो चुके कार्यों के नक्शे तैयार करने आदि पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
7. प्रोटोकॉल के अनुसार सिगनल एवं दूरसंचार उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः जोर दिया गया है।
8. लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।
9. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो ओएचई मास्ट पहले स्थित होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी मिल सके।
10. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) की व्यवस्था की जाती है जिससे लोको पायलट को आने वाले मुख्य स्थलों यथा सिगनल, रेल फाटकों आदि की दूरी का पता लग जाता है।
11. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 किग्रा की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रेंथ (यूटीएस) पटरी, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) लोचदार बंधन वाले सामान्य/चौड़ी सतह के स्लीपर, पीएससी स्लीपर्स पर फैनशेड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है।
12. मानवीय त्रुटियों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।
13. संरक्षा बेहतर करने के लिए रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना।
14. पटरियों में दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए रेल की अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन परीक्षण (यूएसएफडी)।
15. लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग के उपयोग को कम करना और रेलपथों के लिए बेहतर वेल्डिंग तकनीकों अर्थात् फ्लैश बट वेल्डिंग अपनाना।
16. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ रिकॉर्डिंग कारों) द्वारा रेलपथ भूमिति की निगरानी।
17. वेल्ड/पटरियों की दरारों का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर पेट्रोलिंग।
18. टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।

19. संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों को निगरानी और शिक्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण।
20. युक्तिसंगत अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता और इनपुट के इष्टतमीकरण से संबंधित निर्णय लेने के लिए ट्रेक डाटाबेस और डिजीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है।
21. रेलपथ की संरक्षा से संबंधित मामलों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्य साइट पर संरक्षा, मानसून संबंधी सावधानियों आदि पर विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
22. गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण।
23. पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन के रेल डिब्बों के स्थान पर एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं।
24. जनवरी, 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर सभी मानवरहित समपारों को समाप्त कर दिया गया है।
25. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान स्थितियों के आकलन के आधार पर पुलों का मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है।
26. भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक “आग संबंधी सूचनाएं” लगाई है। सभी डिब्बों में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग से बचने के लिए विभिन्न ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ के बारे में सूचित और सतर्क किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को साथ न ले जाने, धूम्रपान न करने, जुर्माना आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।
27. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और पैन्ट्री कारों में आग संसूचक एवं अवरोधन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में आग एवं धुआं संसूचक प्रणाली की व्यवस्था कर रही है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूद सवारी डिब्बों में चरणबद्ध तरीकों से प्रोग्रेसिव फिट्मेन्ट का कार्य भी चालू है।
28. कर्मचारियों की नियमित काउन्सलिंग की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।
29. दिनांक 30.11.2023 की राजपत्रित अधिसूचना के तहत भारतीय रेल (ओपन लाइन) पर सामान्य रोलिंग ब्लॉक अवधारणा की शुरुआत की गई है जिसमें परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन के कार्य को रोलिंग आधार पर 52 सप्ताह पूर्व ही नियोजित किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

रेलों द्वारा किए गए संरक्षा संबंधी कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:-

क्र.सं.	मर्दे	2004-05 से 2013-14	2014-15 से 2023-24	2004-14 की तुलना में 2014-24
रेलपथ अनुरक्षण				
1.	रेलपथ नवीकरण पर व्यय (करोड़ रूपये में)	47,038	1,09,577	2.33 गुना
2.	रेल नवीकरण प्राथमिक (रेलपथ किमी.)	32,260	43,335	1.34 गुना
3.	उच्च-गुणवत्ता की पटरियों का उपयोग (60 किग्रा.) (किमी.)	57,450	1,23,717	2.15 गुना
4.	लंबे रेल पैनल (260मी.) (किमी.)	9,917	68,233	6.88 गुना
5.	पटरियों की यूएसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) जांच (रेलपथ किमी.)	20,19,630	26,52,291	1.31 गुना
6.	वेल्डिंग की यूएसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) जांच (अदद)	79,43,940	1,73,06,046	2.17 गुना
7.	नए जोड़े गए रेलपथ किमी. (रेलपथ किमी.)	14,985	31,180	2.08 गुना
8.	वेल्ड संबंधी विफलताएं (अदद)	2013-14 में: 3699	2023-24 में: 481	87% कमी
9.	पटरियों में दरारें (अदद)	2013-14 में: 2548	2023-24 में: 383	85% कमी
10	थिक वेब स्विच (अदद)	शून्य	21,127	
11	रेलपथ मशीन (अदद)	31.03.14 तक = 748	31.03.24 तक = 1,661	122% वृद्धि
समपार फाटकों को समाप्त करना				
1.	मानव रहित समपार फाटकों को समाप्त करना (अदद)	31.03.14 तक: 8948	31.03.24 तक : शून्य (31.01.19 तक सभी बंद कर दिए गए)	100% कमी
2.	मानव युक्त समपार फाटकों को समाप्त करना (अदद)	1,137	7,075	6.21 गुना

3.	रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/ रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) (अदद)	4,148	11,945	2.88 गुना
4.	समपार समाप्त करने पर व्यय (एलसी+आरओबी+आरयूबी)	8,825	41,957	4.75 गुना
पुल पुनर्स्थापन				
1.	पुल पुनर्स्थापन पर व्यय (करोड़ रुपये में)	3,924	8,255	2.10 गुना
सिगनल कार्य				
1.	इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (स्टेशन)	837	2,964	3.52 गुना
2.	स्वचालित ब्लॉक सिगनल (किमी.)	1,486	2,497	1.67 गुना
3.	फॉग पास सेफ्टी डिवाइस (अदद)	31.03.14 तक: 90	31.03.24 तक: 19,742	219 गुना
चल स्टॉक				
1.	एलएचबी डिब्बों का विनिर्माण (अदद)	2,337	36,933	15.80 गुना
2.	वातानुकूलित डिब्बों में अग्नि और धूमन संसूचक प्रणाली का प्रावधान (डिब्बों की संख्या)	0	19,271	
3.	पेंट्री और पावर कारों में अग्नि संसूचन एवं अग्निशमन प्रणाली का प्रावधान (डिब्बों की संख्या)	0	2,991	
4.	गैर-वातानुकूलित डिब्बों में अग्नि शामकों का प्रावधान (डिब्बों की संख्या)	0	66,840	

पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान भारतीय रेल द्वारा संरक्षा संबंधी उपायों, अवसंरचनाओं के संवर्धन और उन्नयन और प्रौद्योगिकी सुधार आदि के लिए 959712 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
